(2008) 3 SCR 1156

जी. एम. हरियाणा रोडवेज

बनाम

जय भगवान और अन्य

(2004 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 23385)

5 मार्च, 2008

[एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 136: एस. एल. पी.-याचिकाकर्ता-राज्य अदालत के समक्ष एक रुख अपना रहा है प्रशासनिक तौर पर दूसरे प्रकार से कार्य कर रहा है - न्यायालय के सामने तथ्य अप्रकटीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया। महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाना और वह भी राज्य द्वारा, इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए-साथ ही राज्य मामले में गंभीर विलम्ब के लिए भी दोषी है-इसलिए, एस. एल. पी. खारिज होने योग्य है - 1 लाख रुपये की अनुकरणीय लागत भी लगाई गई — विलम्ब ।

उत्तरदाता संख्या 1, राज्य रोडवेज में एक आकस्मिक कर्मचारी है, जिसकी सेवा को समाप्त कर दिया गया था। श्रम न्यायालय ने उन्हें बहाल करने का निर्देश दिया। तद्नुसार राज्य रोडवेज ने उत्तरदाता संख्या 1 को फिर से सेवा में स्थापित किया लेकिन बाद में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई जिसमें श्रम न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड को चुनौति दी गई। सेवा में पुनर्स्थापन का तथ्य रिट याचिका में नहीं बताया गया था इसलिए संक्षेपतः खारिज की गई। परिणामस्वरुप उत्तरदाता संख्या 1 को स्कीम की शर्तों पर नियमित किया गया।

इसके बाद राज्य सड़क परिवहन ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को प्रस्तुत किया, जिसमें भी बहाली व नियमितीकरण के तथ्यों का खुलासा नहीं किया। उत्तरदाता नं. 1 ने अपने जवाबी हलफनामे में उपरोक्त तथ्य को सामने लाकर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया।

एसएलपी को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया-

1. याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त तथ्यों का खुलासा जानबूझकर नहीं किया गया था। लगभग एक वर्ष और पाँच माह की अवधि के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पेश की थी। बल्कि इससे पहले ही, प्रतिवादी को सेवा में बहाल कर दिया गया था। [पैरा 10] [1162-ए, बी]

2. विशेष अनुमति याचिका 153 दिनों के विलम्ब से पेश की गई थी। लेकिन इसके बावजूद प्रथम उत्तरदाता को सेवा में बहाल करने के आदेश दिनांकित 10.5.2002 और उसे दिनांक 21.6.2004 को सेवा में नियमित करने के बारे में न्यायालय को जानकारी नहीं दी गई। एस. एल. पी. दाखिल करने में वास्तव में, लगभग 721 दिन का विलम्ब हुआ। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि 478 दिन उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में समय लगना बताया, जो थोड़ा असामान्य प्रतीत होता है।[पैरा 11] [1162-बी, सी, डी]

3.1. यह समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के मामले में, जिसे राज्य ने इतना गंभीर होना प्रकट किया है, में भी रिट याचिका और विशेष अनुमति याचिका दोनों पेश करने में इतना विलम्ब कैसे किया। सर्वोच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने का तथ्य भी इस न्यायालय की विवेकाधीन अधिकारिता के तहत गंभीरता से ली गई। [पैरा 12] [1162-डी, ई]

3.2. महत्वपूर्ण तथ्य का छुपाव, विवेकाधिकार अधिकारिता को का प्रयोग करने से इनकार करता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या होंगे और इनको छुपाने पर अपीलार्थी न्यायालय के विवेकाधीन किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अनधिकारी हो जायेगा, ये प्रत्येक मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर निर्भर करता है। [पैरा 12] [1163-बी]

एस. जे. एस. बिजनेस एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और ओआरएस। (2004) 7 एस. सी. सी. 166; अरुणिमा बरुआ बनाम। भारत संघ (यूओआई) और ओआरएस। (2007) 6 एस. सी. सी., 120 और प्रेस्टीज लाइट्स लिमिटेड बनाम भारतीय स्टेट बैंक (2007) 8 एस. सी. सी. 449-पर भरोसा किया।

4. यदि उपरोक्त तथ्यों को इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया होता तो विशेष अनुमति याचिका को संक्षेप में खारिज कर दिया जाता और दाखिल करने में देरी को माफ नहीं किया जाता। न्यायालय को इतना समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं थी, जब राज्य ने स्वयं अवार्ड को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त राज्य गंभीर विलम्ब का दोषी भी है। इसलिए तथ्यों का छुपाव वह भी राज्य के द्वारा किया गया है, जिसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। भविष्य में राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी मामले को सर्वोच्च न्यायालय में लाने के समय आवश्यक कदम उठायें- [पारस 12,13] [1163-ई, एफ, जी]

5. न केवल यह विशेष अनुमति याचिका खारिज होनी चाहिए बल्कि अनुकरणीय लागत भी दी जानी चाहिए। मामले में लागत रुपये 1,00,000/- पर निर्धारित की गई है। [पैरा 14] [1164-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः विशेष अवकाश 2004 की याचिका (सिविल) संख्या 23385

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15317/2002 में 23.9.2002 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

याचिकाकर्ता के लिए मंजीत सिंह अड्डी, ए. जी. टी. वी. जॉर्ज और कविता वाडिया।

उत्तरदाताओं के लिए एस. के. सभरवाल।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. बी. सिन्हा, जे.

1. प्रथम उत्तरदाता को अपीलार्थी रोडवेज द्वारा दैनिक भत्ते पर चालक नियुक्त किया गया था। वह एक आकस्मिक कर्मचारी था। उपायुक्त, रोहतक के द्वारा निर्धारित भत्ते उसे दिये जा रहे थे।

2. निर्विवाद रूप से, वह लगातार 4.8.1995 से काम कर रहा था। कथित तौर पर उन्होंने सेवा छोड़ दी, हालांकि प्रथम उत्तरदाता का कथन यह है कि उनकी सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त कर दिया गया था।

3. प्रथम प्रतिवादी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2ए के तहत आवेदन दायर किया जिसमें उसकी सेवा की निरंतरता और पूर्व वेतन व अन्य वैधानिक लाभों के साथ बहाली के लिए अनुरोध किया गया था।

उक्त आवेदन को श्रम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। श्रम न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि कार्मिक ने स्वयं नौकरी छोड़ दी थी। इस तथ्य के अलावा कि वह बर्खास्तगी से पहले 12 महीनों की अवधि में 240 दिनों से अधिक अवधि के लिए काम कर रहा था और यह भी स्वीकृत है कि अधिनियम की धारा 25एफ की अनिवार्य आवश्यकताओं की पालना नहीं की गई थीं। विद्वान श्रम न्यायालय ने यह भी पाया कि कुछ ड्राइवर, जो उनसे जूनियर थे, उन्हें अधिनियम की धारा 25जी के प्रावधानों का उल्लंघन के बाद भी सेवा में रखा गया था। इसलिए, यह निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी को उसके स्थान पर सेवा की निरंतरता और डिमाण्ड नोटिस की तामिल की दिनांक से पूर्व वेतन के साथ बहाल किया जाए।

4. प्रथम उत्तरदाता को दिनांक 10-05-2002 के महाप्रबंधक, हरियाणा रोड़वेज, रोहतक के आदेश द्वारा सेवा में बहाल कर उक्त अवार्ड को आंशिक रुप से लागू किया गया, ऐसा प्रतीत होता है । आदेश में बताया गया-

> "पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रोहतक के निर्णय दिनांकित 28.2.2000 के तहत श्री जय भगवान, पूर्व चालक डी. डब्ल्यू. पुत्र श्री राम किशन को दिनांक 31-05-2002 से चालक के पद पर दैनिक भत्ते पर सेवा की निरंतरता में

तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया जाता है, जो CWP/SLP के निर्णय के अधीन रहेगी। उसे रोहतक में पदस्थापित किया जाता है और उसका चालक आवंटन नंबर 102A है।

नियुक्ति के नियम और शर्तें पिछले आदेश के अनुसार ही रहेंगी। उसकी सेवाएं किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस या कारण बताये समाप्त की जा सकती है और उसका "परिवहन विभाग, हरियाणा" की किसी भी इकाई में स्थानांतरित किया जा सकता है।"

5. यह महत्व की बात है कि उक्त तिथि अर्थात्, 10.5.2002, पर कोई रिट याचिका दायर नहीं की गई थी। इस अवार्ड को चुनौति देने के लिए एक रिट याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में केवल 27.7.2002 को पेश की गई थी। रिट याचिका में यह तथ्य भी नहीं बताया गया था कि प्रथम उत्तरदाता को विद्वान श्रम न्यायालय के अवार्ड पर सेवा में बहाल कर दिया गया है। उक्त रिट याचिका दिनांक 23-09-2002 को संक्षेपतः खारिज कर दी गई थी।

6. नियमितीकरण की कथित योजना के आधार पर उत्तरदाता की सेवाएं यह कहते हुए नियमित कर दी-

"परिवहन आयुक्त, हरियाणा के पत्र No.1224-45/A2/E3 दिनांकित 23.3.1998 और पत्र No.3471-90/A2/E3 दिनांकित 6.7.1999 के अनुसरण में आपकी सेवाओं को इसके बाद चालक डब्ल्यू. ई. एफ. के पद पर दिनांक 10.5.2002 से दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्केल 4000-100-4800 - ई. बी.-100-6000 पर सीडब्ल्यूपी/एसएलपी के अंतिम परिणाम के अधीन रहते हुए नियमित की जाती है।"

7. विशेष अनुमति याचिका अदालत के समक्ष 13.9.2004 को दायर की गई थी, जो 153 दिनों की देरी की माफी के लिए एक आवेदन के साथ थी। एसएलपी में दिनांकों की सूची में भी प्रथम उत्तरदाता के सेवा में बहाली और नियमितीकरण का खुलासा नहीं किया गया था। इस पर अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना निम्नानुसार की गई थीः

"इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा 2002 की सी.डब्ल्यू.पी. No.15317 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 23.9.2002 के संचालन पर रोक लगाने का अंतरिम अनुतोष प्रदान किया जावे।"

8. इस मामले में एक नोटिस इस न्यायालय द्वारा 1.11.2004 को जारी किया गया था। प्रथम उत्तरदाता ने अपने जवाबी हलफनामे में उक्त तथ्यों की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया।

जब मामले की 7.12.2007 को सुनवाई हुई, तो इस न्यायालय द्वारा यह देखा गयाः

"जब मामले के लिए विद्वान वकील को बुलाया गया था उत्तरदाताओं ने हमारे सामने एक दिनांकित पत्र प्रस्तुत किया है 21.6.2004 जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की सेवाएँ उक्त तथ्य का उल्लेख तिथियों की सूची में नहीं किया गया है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारा पारित पुरस्कार पर सवाल उठाया गया है औद्योगिक ट्रिब्यूनल-सह-श्रम न्यायालय, रोहतक, एक रिट याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था जो 23.9.2002 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। जब मामला इस अदालत के सामने आया, इस अदालत ने न केवल जारी किया विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस लेकिन नोटिस भी जारी किया गया अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना पर। अतः यह स्पष्ट है कि एक ओर याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया है औद्योगिक न्यायालय पूर्ण वेतन के साथ बहाली का निर्देश देगा श्रमिक का और, दूसरी ओर, यह स्वयं गुजर रहा है, इस तरह के आदेश/विशेष अनुमति याचिका में लिए गए आधारों में से एक यह है कि सेवा में प्रतिवादी संख्या 1 की

नियुक्ति थी स्वीकृत पद पर नहीं थे और उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी प्रश्न की अवधि के दौरान अपने दम पर। याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया जाए कि क्योंकि इसके विरुद्ध उचित आदेश पारित नहीं किया जाएगा हरियाणा रोडवेज, रोहतक का प्रशासन इस तथ्य का कि वे न्यायालय के समक्ष एक रुख अपना रहे हैं लेकिन प्रशासन की ओर से भी अन्यथा कार्य करना न्यायालय के समक्ष भौतिक तथ्य को रोकना।

7 जनवरी, 2008 से पहले शपथ पत्र दाखिल किया जाए।

इस मामले को 16 जनवरी, 2008 को पेश करें।

9. उक्त निर्देशों के अनुसार, एक हलफनामा दिया गया है 8.1.2008 पर यह कहते हुए कि एक संचार अंतराल था विभाग और याचिकाकर्ता के वकील। नहीं। मान लिया गया था कि क्यों भौतिक तथ्य, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में देखा गया है इससे पहले, तिथियों की सूची में इसका खुलासा नहीं किया गया था।

10. श्री मंजीत सिंह, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए, प्रस्तुत करेंगे कि गैर उक्त तथ्यों का खुलासा जानबूझकर नहीं किया गया था। हम स्वीकार नहीं करते। उक्त स्पष्टीकरण। हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि रिट लगभग एक अवधि के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी एक वर्ष और

पाँच महीने। इससे पहले भी, प्रतिवादी सेवा में बहाल किया गया।

11. हमने यह भी देखा है कि विशेष अनुमति याचिका 153 दिनों के लिए प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उत्तरदाता और 21.6.2004 द्वारा अपनी सेवाओं को नियमित करना था अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया। दाखिल करने में हुई देरी एसएलपी वास्तव में लगभग 721 दिन का था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 478 प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए दिन का समय लिया गया था उच्च न्यायालय का आदेश जो थोड़ा असामान्य प्रतीत होता है।

12. हम यह समझने में विफल हैं कि इस तरह के मामले में भी कैसे जहाँ राज्य ने एक प्राप्त करने में इतना गंभीर होने का नाटक किया इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का सिद्धांत, इस तरह की देरी हुई रिट याचिका दायर करने के साथ-साथ विशेष अनुमति भी दें याचिका. भौतिक तथ्य के दमन को गंभीरता से देखा जाता है अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ न्यायालय। में।

एस.जे.एस. बिजनेस एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य। [(2004) 7 एस. सी. सी. 166], तथ्य के दमन पर इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"एक सामान्य नियम के रूप में, एक द्वारा एक भौतिक तथ्य का दमनवादी ऐसे वादी को कोई राहत प्राप्त करने के लिए अयोग्य

घोषित कर देता है। यह नियम न्यायालयों की आवश्यकता से विकसित किया गया है।"

किसी वादी को धोखा देकर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने से रोकना। लेकिन दबाए गए तथ्य को एक सामग्री होना चाहिए। एक इस अर्थ में कि अगर इसे बीन नहीं दबाया जाता तो यह मामले के गुण-दोष पर प्रभाव पड़ा है। उक्त अवलोकन को जी. एम. हरियाणा रोडवेज बनाम द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था।

अरुणिमा बरुआ बनाम। भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य। [(2007) 6 एस.सी.सी. 120], जिसमें जो प्रश्न उठाया गया था वह थाः कैसे ?

अब तक और किस हद तक गैर के माध्यम से तथ्य का दमन

क्या प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के न्याय तक पहुँच के अधिकार को प्रभावित करेगा?

अदालत नोटिस करती है कि ताकि वह अभ्यास करने से इनकार कर सके

इसके विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र में, दमन सामग्री का होना चाहिए तथ्य। एक भौतिक तथ्य क्या होगा, जिसका दमन होगा विवेकाधीन राहत

प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को अयोग्य घोषित करें, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

हाल ही में, प्रेस्टीज लाइट्स लिमिटेड बनाम। भारतीय स्टेट बैंक [(2007) 8 एस. सी. सी. 449], इस अदालत ने निर्णय दियाः

"उच्च न्यायालय विवेकाधिकार का प्रयोग कर रहा है और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र संविधान। इसके अलावा, एक न्यायालय भी एक है कोर्ट ऑफ इक्विटी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जब कोई पक्ष उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, तो उसे सभी को पेश करना चाहिए बिना किसी आरक्षण के न्यायालय के समक्ष तथ्य। अगर वहाँ आवेदक की ओर से भौतिक तथ्यों का दमन है या न्यायालय के समक्ष विकृत तथ्य रखे गए हैं, रिट कोर्ट याचिका पर विचार करने और खारिज करने से इनकार कर सकता है मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना "।

क्या उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में लाया गया था इस न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका हो सकती है संक्षेप में खारिज कर दिया। इसे दाखिल करने में देरी को भी शायद माफ नहीं किया गया होगा। अदालत को इस तरह बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी अधिकांश समय जब

राज्य के पास स्वयं सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए था, पुरस्कार स्वीकार किया।

13. इसके अलावा, राज्य गंभीर देरी का दोषी था और लच्छियाँ। इसलिए, हमारी राय है कि दमन के लिए ऐसी प्रकृति का तथ्य और वह भी राज्य के कहने पर इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम आशा और विश्वास करते हैं कि भविष्य में राज्य अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। अपेक्षित आचरण को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक राज्य से।

14. इसलिए हम निर्देश देते हैं कि न केवल यह विशेष अवकाश मामले में सम्मानित किया जाए। लागत की मात्रा रु. 1,00,000/निर्धारित की गई है। (केवल एक लाख रुपये)। चूंकि प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ था आज, हमारी राय है कि लागत का भुगतान किया जाना चाहिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। राशि जमा की जा सकती है। सदस्य के साथ-सचिव, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण चार सप्ताह की अवधि के भीतर जो ऐसा न करने पर वह इसका हकदार होगा दर पर ब्याज के साथ कानून के अनुसार उसी का एहसास करें 12 प्रतिशत प्रति वर्ष।

विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।

बी. बी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपक पाण्डे (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।